

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

हुकूम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

क्र. सं. हुकूम

जामाईत बनाम राजेश
मु. सं. 28/2023 (51.54)

19.7.24

काज फावली पेरा हुई (वकील
उमर पक्ष उपस्थित) जोहे उमर उपखण्ड
दिनांक 22.7.24 को पेरा हो लक लक T.I.
की शर्त बढाई जाती है

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दीसा

22.7.24

काज फावली पेरा हुई
वकील उमर पक्ष उपस्थित) वादी का
बाद फर कंठिम रन्य से डिक्ली किम
जा चुका है इसलिए प्रार्थना पर कसबई
निषेधाज्ञा चलाने का कोई औचित्य नहीं है

अर: प्रार्थी का प्रार्थना पर कसबई
निषेधाज्ञा खारिज किम जात है। प्रतिनदीगण/अप्रार्थी
के विरुद्ध दिनांक 18.05.2023 के जारी
कसबई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है।
फावली फैसल शुमार होकर नम्बर से
कम हो सं भूल वाद संलग्न रहे।

आदेश हुमापा वका

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दीसा